

कार्यालय कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला धार (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक/४६१० /अ-...../2017-2018

धार दिनांक 26/8/19

:प्रारंभिक अधिसूचना:

(अन्तर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में बलकुण्डा सिंचाई योजना के निर्माण अन्तर्गत ग्राम सुनेड़ी तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम- सुनेड़ी

तहसील- सरदारपुर जिला धार

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	बलकुण्डा सिंचाई योजना के निर्माण में प्रभावित होने से योग	0.000	1.076	1.076
		0.000	1.076	1.076

अनुसूची (2)

बलकुण्डा सिंचाई योजना अन्तर्गत ग्राम सुनेड़ी तहसील सरदारपुर जिला धार की प्रभावित भूमि का विवरण

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	गंगाबाई, गेंदीबाई, पिता मेहजी जाति भील निवासी ग्राम सुनेड़ी	223	0.000	3.699	3.699	0.000	0.365	0.365
2	कालीया पिता नरसिंह जाति भील निवासी ग्राम भाटीखोदरा	226	0.000	0.136	0.136	0.000	0.136	0.136
3	नंदराम पिता रणजीत भील निवासी ग्राम सुनेड़ी	229	0.000	0.575	0.575	0.000	0.575	0.575
	योग:-		0.000	4.410	4.410	0.000	1.076	1.076

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(श्रीकान्त बनोठ)